



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सं.-37/2025, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय, पटना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 41 (एकतालीस) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक- 10-09-2025 को आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल कुल 668 (छः सौ अड़सठ) उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

2. मुख्य परीक्षा- मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे:-

(क) प्रश्न पत्र 1 : विषय- सामान्य हिन्दी

- (i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
- (ii) हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय, सामान्य ज्ञान (मुख्य) (प्रश्न पत्र-2) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।
- (iii) प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा।
- (iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या- 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।
- (v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

(ख) प्रश्न पत्र 2: विषय- सामान्य ज्ञान

- (i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
- (ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:-
 - (क) सामान्य अध्ययन - प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
 - (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित - प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
 - (ग) मानसिक क्षमता जाँच - प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
- (iii) सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।
- (v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

3. मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

प्रश्न पत्र-1 : विषय- सामान्य हिन्दी

इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक (सेकेंडरी) स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न, हिन्दी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोधशक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे। जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबन्ध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द/विपरीतार्थक शब्द, हिन्दी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित हिन्दी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे।

प्रश्न पत्र-2 : विषय-सामान्य ज्ञान

खण्ड (क):- सामान्य अध्ययन:- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के संबंध में यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

- (i) सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ इत्यादि।
- (ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन।

खण्ड (ख):-सामान्य विज्ञान एवं गणित:- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से सम्बन्धित यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं-

- (i) सामान्य विज्ञान:- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल।

✍

(ii) गणित:- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

खण्ड (ग):-मानसिक क्षमता जाँच:- इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चाँतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर संविदा कर्मियों को उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्यानुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ अनुमान्य होंगे।

6. **मेधा सूची :-** मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक एवं समान पद पर संविदा के आधार पर किये गये कार्यानुभव में प्राप्त अधिमानता के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी।

नोट:- इस विज्ञापन के अन्तर्गत मुख्य परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2023 से 01.08.2025 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

7. **आरक्षण :-** प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण तथा अन्य लाभ अनुमान्य होंगे एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं है।

8. **शुल्क :-** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

9. **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-**

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	12.01.2026
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	31.01.2026

(i) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये न्यूनतम अर्हता, संविदागत अनुभव तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाई की जायेगी। ऑनलाईन



आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

10. **महत्वपूर्ण निर्देश :-** आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

- (i) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
- (ii) स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत)।
- (iii) संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता का लाभ लेने हेतु बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्यरत अवधि का विनिश्चय हेतु संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- (iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।
- (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।
- (vi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के समय शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
- (vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के दावा करने वाले अभ्यर्थी को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र।
- (ix) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 एवं पत्रांक-2568, दिनांक- 11.02.2025 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र।
- (xi) अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xiii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा की आवेदन में दावा किया हो।
- (xiv) हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) पासपोर्ट आकार का फोटो।
- (xv) मुख्य परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी।

11. सभी वांछित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, पूर्व में भरे गये प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि- **23-06-2025** तक का होना आवश्यक है।

12. उपर्युक्त प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम

✍

एक सप्ताह) देते हुए औपबधिक रूप से दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।

13. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

- (i) आवेदक को अपने User Name & Password से Login करने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेंगे, जिसमें View Button पर Click करने के बाद Check Advertisement Criteria पर Click करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
 - (iii) इंटरनेट के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - (iv) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
 - (v) ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद Profile में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
 - (vi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Application Number, Application ID एवं Bar Code अंकित है। हार्ड कॉपी पर Application Number, Application ID एवं Bar Code में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (vii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- Note:-** यदि आवेदक को Application Form भरने में कोई शिकायत है, तो Grievance Tab में उसका विवरण दे सकते हैं।

14. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः My Account Tab पर Click करेंगे, तत्पश्चात् Action के अन्दर View Option पर Click करने पर Application Print का Option दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
15. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
16. शैक्षिक योग्यता एवं संविदागत अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किया है।
17. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
18. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट तथा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
19. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9/11/26

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना